267

संख्या 448/XX-–1–2012–4(2)2012

प्रेषक,

अमित सिन्हा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग– 1 देहरादून, दिनांकः 26 जून, 2012

विषयः वित्तीय वर्ष 2011–12 में 13 वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदानों के अन्तर्गत थाना बुग्गावाला, जनपद–हरिद्वार के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–डी0 जी0–दो–130–2007, दि0 19.12.11 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल महोदय 13 वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदानों के अन्तर्गत थाना बुग्गावाला, जनपद–हरिद्वार के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु रु0 245.93 लाख के विस्तृत आगणन के सापेक्ष संलग्नकानुसार रु02,44,78,000.00 के औचित्यपूर्ण लागत पर प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में रु0 2,00,00,000.00 (रू0 दो करोड़ मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा।

3– आगणन में उल्लिखित दरें केवल आगणन गठित के लिये ही अनुमन्य है। कार्य कराने से पूर्व दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट. में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

4– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें। आगणन में प्राविधानित CFL Lamp, Flourescent fitting तथा CRC Sheet व Feeder Piller के संबंध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा।

7– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

8– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य करते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से पालन करने का कष्ट करें।

9– आगणन में प्राविधानित डिजायन व मात्राओं हेतु संबंधित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

10– आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण एजेन्सी के साथ वित्त विभाग के आदेशानुसार निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर कर लिया जायेगा।

11– उक्त व्यय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–10 लेखाशीर्षक 4055– पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनागत–00–800–अन्य व्यय 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0102 –13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत पुलिस थाना/चौकी निर्माण, 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–14 P/XXVII(5)/2012–13, दिनाँक:07 जून, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जरी किए जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(अमित सिन्हा)
अपर सचिव

संख्या– 448 (1)/ XX–1–2012–4(2)2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
4– जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5– वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
6– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार।
7– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
8– सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड ।
9– परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश।
10– बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
11– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
12– गार्ड फाईल।

संलग्नक–यथोक्त।

आज्ञा से

(जे0 पी0 जोशी)
संयुक्त सचिव

शासनादेश सं0– 448 /XX–1–2012–4(2)2012, दि0 जून, 2012 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं	कार्य का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	अनुमोदित लागत	2012–13 में स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	7
1	थाना बुग्गावाला के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण	हरिद्वार	उत्तराखण्ड पेयजल निगम,	244.78	200
योग–				244.78	200

(रूपये दो करोड़ मात्र)

(अमित सिन्हा)
अपर सचिव